

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)

प्रमुख अभियन्ता
लो०नि०वि०

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून, दिनांक ११ अगस्त, 2023

विषय:- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया नोडल अधिकारी (रोड सेपटी), लोक निर्माण विभाग, देहरादून के पत्र संख्या 5176/11(1)याता०(क)-उ०/2023 दिनांक 01.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट में सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत कार्यों का अनुमोदन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2. उक्त पत्रों के साथ संलग्न जिला सड़क सुरक्षा समिति की संस्तुति के कम में निम्नलिखित कुल 17 कार्यों पर रू० 6617.04 लाख (रू. छियासठ करोड़ सतराह लाख चार हजार मात्र) सड़क सुरक्षा मद से व्यय किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं०	कार्य का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई(किमी०)	लागत
1.	जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में विभिन्न मोटर मार्गों के विभिन्न कि०मी० में सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत क्रैश बैरियर, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट एवं साईनेज लगाने का कार्य।	115.30	658.35
2.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में धौन्तरी- कमद-अयारखाल - बुढाकेदार- चमियाला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-73) के कि०मी० 19 से 50 तथा जाखधार-घनसाली मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-74) के कि०मी० 01 से 18 एवं उत्तरकाशी-लम्बगांव- घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-15) के कि०मी० 88 से 112 एवं कि०मी० 67 से 87 में क्रैश बैरियर, पैरापिट, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट एवं साईनेज लगाने का कार्य।	94.00	711.11
3.	दुर्घटना सम्भावित स्थलों पर क्रैश बैरियर, डेलिनेटर, साईन बोर्ड एवं थर्मोप्लास्टिक पेन्ट का कार्य।		
	1. निर्माण खण्ड, लोनिवि, नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में पौड़ी देवप्रयाग गजा जाजल राज्य मार्ग संख्या-31 (लं०-70.500 कि०मी०)	178.50	792.71
	2. डाबरखाल कुडी मौण गुरियाली रानीचौरी डांडाचली गजा नकोट पागरखाल राज्य मार्ग संख्या-75 (लं०-49.850 कि०मी०)		
	3. गूलर नाई सिलखणी मठियाली पसरखेत तमियार		

12

	शिवपुरी तिमली राज्य मार्ग संख्या-76 (लं0-74.00 कि०मी०)		
4.	निर्माण खण्ड, लोनिवि, नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत मुख्य जिला मार्गों पर सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत दुर्घटना सम्भावित स्थानों पर अतिआवश्यक सड़क सुरक्षा (क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं साइनेज) का कार्य।	17.00	285.69
5.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, नरेन्द्रनगर में अन्य जिला मार्गों पर क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं साईन बोर्ड लगाने का कार्य।		
	1. हिण्डोलाखाल कुंजापुरी मोटर मार्ग पर क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं साईन बोर्ड लगाने का कार्य।	17.00	202.05
	2. आगराखाल कुसरेला मोटर मार्ग पर क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं साईन बोर्ड लगाने का कार्य।		
	3. ऋषिकेश गंगोत्री मोटर मार्ग पर क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं साईन बोर्ड लगाने का कार्य।		
6.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत घट्टूघाट-सिलोगी-गुमखाल-लैन्सडौन- रिखणीखाल -बीरौखाल (राज्य मार्ग सं०-51) मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 162.00 में सड़क सुरक्षा का कार्य।	169.60	620.75
7.	सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन के अधीन विभिन्न मोटर मार्गों पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	150.00	997.63
8.	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी में पौड़ी-देहलचौरी-उफल्डा मोटर मार्ग के किमी० -07 से 23 एवं उफल्डा -खन्दूखाल - मुच्छयाली- चराकोट-जामलाखाल - घुडदौडी मोटर मार्ग के किमी०-09 से 15 में रोड सेपटी का कार्य।	24.00	415.32
9.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत स्व० जगमोहन सिंह नेगी (एस०एच०-9) मोटर मार्ग किमी० 17 से 75, 115 से 140 में क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं कॉशन बोर्ड लगाने का कार्य।	83.00	455.58
10.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत नालीखाल- बनचूरी-नैल-कपोलकाटल मोटर मार्ग (किमी० 1 से 12) में क्रैश बैरियर, डेलीनेटर एवं कॉशन बोर्ड लगाने का कार्य।	12.00	49.91
11.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड मोरी के अन्तर्गत एस०एच० मोटर मार्गों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय कार्य।	106.00	656.26
12.	सड़क सुरक्षा मद के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के विकासखण्ड पुरोला एवं मोरी के अन्तर्गत अन्य जिला मोटर मार्गों पर आवश्यक सुरक्षा उपाय कार्य।	9.43	94.90
13.	रोड सेपटी के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत देहरादून-किमाड़ी-लम्बीधार-मोतीलाल नेहरू-कार्ट मैकेन्जी-होलोक कम्पनी गार्डन मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं०-79) मार्ग पर दुर्घटना बाहुल्य भाग में	33.00	64.77

	सुरक्षा हेतु क्रैश बैरियर एवं साईनेज का कार्य।		
14.	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में सहसपुर- शंकरपुर- रमसावाला- भाऊवाला- सुद्धोवाला मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-2) एवं सेलाकुई- भाऊवाला -डूंगा -नन्दा की चौकी मोटर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-1) पर दुर्घटना बाहुल्य भाग में सुरक्षा हेतु क्रैश बैरियर एवं साईनेज का कार्य।	32.60	83.28
15.	रोड सेफ्टी मद के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में विकासखण्ड विकासनगर में लम्बरपुर- बरोटीवाला-विकासनगर मार्ग पर क्रैश बैरियर लगाने का कार्य।	7.60	38.83
16.	रोड सेफ्टी मद के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में विकासखण्ड विकासनगर में लक्ष्मीपुर- बरोटीवाला-अम्बाड़ी मार्ग पर क्रैश बैरियर लगाने का कार्य।	10.50	73.11
17.	अल्मोड़ा बेरीनाग अस्कोट मोटर मार्ग (एस0एच0-03) (उडियारी बैंड से थल प्रभाग 20.00 किमी0) (सेराघाट से राईआगर तक का प्रभाग 28.625 किमी0) एवं डंगोली सैलानी दाड़िमखेत धरमधर कोटमन्या पॉखू थल सातसिलिंग (एस0एच0-60) 26.500 किमी0 में दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों पर रोड सेफ्टी के अन्तर्गत क्रैश बैरियर, पैरापिट, साईन बोर्ड लगाये जाने का कार्य।	75.13	416.79
	योग:-	1134.66	6617.04

- (i) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- (ii) विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iv) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (v) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में **debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (vi) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(ix) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-3054 सड़क तथा सेतु-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य- 05 सड़क सुरक्षा-0051 अनुरक्षण मद के अन्तर्गत आपके निवर्तन में रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक-1030 / 20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक-26.08.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, (नोडल अधिकारी) नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को मयसंलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अपर सहायक अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून